

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: 16 वीं विधानसभा/तृतीय सत्र/2025/ 1559

दिनांक:- 4/3/25

-: आदेश :-

16 वीं राजस्थान विधानसभा तृतीय सत्र में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आय-व्यय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों के कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हेतु गुरुवार, दिनांक 06 मार्च 2025 निश्चित हुई है।

अतः माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का बजट अभिभाषण तैयार करने हेतु डॉ० सुनीत सिंह राणावत, निदेशक (आरसीएच) की अध्यक्षता में निम्नलिखित अधिकारियों की कमेटी का गठन किया जाता है:-

1. डॉ० लोकेश चतुर्वेदी, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (एनएचएम), मुख्यालय।
2. श्रीमती वीना गुप्ता, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
3. डॉ० नरोत्तम शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय।
4. डॉ० प्रवीण असवाल, अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य), मुख्यालय।
5. डॉ० जोगेश्वर प्रसाद नरवारा, अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण), मुख्यालय।
6. डॉ० कल्पना व्यास, कार्यकारी निदेशक (लोजिस्टिक आरएमएससीएल) मुख्यालय।
7. डॉ० आशुतोष गर्ग, संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित) मुख्यालय।
8. डॉ० आर.एन. मीणा, संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय।
9. डॉ० तरुण जैन, पी.आर.ओ. मुख्यालय।

बजट अभिभाषण तैयार कर दिनांक 05 मार्च 2025 को प्रातः 09:30 बजे तक उक्त कमेटी संबंधित अनुभागों से सूचना प्राप्त कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करेंगे।

(गायत्री राठौड़)  
प्रमुख शासन सचिव,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: 16 वीं विधानसभा/तृतीय सत्र/2025/ 1559

दिनांक:- 4/3/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रबंधक निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, मुख्यालय।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मुख्यालय।
5. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक) मुख्यालय।
7. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1/2/3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल/राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल/फर्मोसी कौंसिल, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक (जनस्वास्थ्य), मुख्यालय।
10. निदेशक (एड्स/परिवार कल्याण/आई.ई.सी.), मुख्यालय।
11. परियोजना निदेशक (एड्स/एन.एच.एम.), मुख्यालय।
12. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
13. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/चिकित्सा प्रशासन/ग्रामीण स्वास्थ्य/परिवार कल्याण), मुख्यालय।
14. संयुक्त निदेशक(अराजपत्रित/चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय।
15. उप निदेशक (विधानसभा), मुख्यालय।
16. समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पालनार्थ।
17. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुये संबंधित को ई-मेल करें।
18. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर